

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/3529 /

जबलपुर, दिनांक 21/08/2023

II-14-51/23

श्री रवि प्रकाश, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 30.12.2022 से 12.02.2023 तक 45 दिन का लघुकृत अवकाश, दिनांक 13.02.2023 से 26.04.2023 तक 73 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27.04.2023 से 28.04.2023 तक 2 दिन का अदेय अवकाश (Leave not due) स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/3530 /

जबलपुर, दिनांक 21/08/2023

II-14-51/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/1686 दिनांक 07.07.2023 के संदर्भ में श्री रवि प्रकाश, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सीय पेपर्स को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.